फरवरी/February-1997

मार्गदर्शी सिद्धांत
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

Guidelines
on
Member of Parliament
Local Area Development Scheme

भारत सरकार
Government of India

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
Department Of Programme Implementation

सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
Sardar Patel Bhawan, New Delhi

मार्गदर्शी सिद्धांत
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

Guidelines
on
Member of Parliament
Local Area Development Scheme

भारत सरकार
Government of India

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
Department Of Programme Implementation

सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
Sardar Patel Bhawan, New Delhi

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां. स्था. क्षे. वि. यो.)

योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और प्रवोधन व्यवस्था के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत

योजना

1.1 प्रधानमंत्री ने 23 दिसंवर, 1993 को संसद में "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां. स्था. क्षे. वि. यो.) " की घोषणा की। तदुपरांत 1994 में इस योजना की अवधारणा, कार्यान्यवन और प्रवोधन व्यवस्था के वारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया गया। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए योजना के कार्यान्वयन से संवंधित मामलों के बारे में समय-समय पर परिपत्र जारी करता रहा है। कई सांसदों ने अपने क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कई शंकाएं उठाई हैं तथा अनेक समस्याएं सामने रखी हैं। इस दरम्यान 10वीं लोकसभा से 11वीं लोकसभा के संक्रमण के कारण निधियों के मुहैया करवाए जाने के तरीकों और दसवीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए/अनुमोदित किए गए/परिकल्पित कार्यो के कार्यान्वयन के संबंध में कई मुद्दे उठाए गए हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के वाद और विभिन्न विचारों और सुझावों को ध्यान में रखकर पहले जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जा रहे हैं।

1.2 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य जिलाधिकारी को अपने निर्वाचन-क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रूपए तक की लागत वाले निर्माण कार्यो को करवाए जाने का सुझाव दे सकते हैं। राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य जो कि संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस राज्य से वे चुनकर आए/आई हैं, उस राज्य के एक या अधिक जिलों का चयन इस योजना के अंतर्गत अपनी पसंद के निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन हेतु कर सकते/सकती हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य अपनी पसंद के निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन हेतु एक या अधिक जिलों का चयन कर सकते/सकती हैं। किंतु चुने गए जिले किसी एक ही राज्य के होने चाहिए।

योजना की मुख्य विशेषताएं

2.1 प्रत्येक संसद सदस्य संबधित जिलाधिकारी को अपनी पसंद के निर्माण कार्यों का ब्यौरा देंगे जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें कार्यान्वित कराएंगे यानि जिलाधिकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहकर राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे। जहां तक शहरी क्षेत्रों का संबंध है, निर्माण कार्यो का कार्यान्वयन सांसदों की पसंद के अनुसार निगमों, नगरपालिकाओं आदि के आयुक्तों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों द्वारा करवाया जा सकता है। कार्यान्वयन अभिकरणों में सरकारी या पंचायती राज संस्थाएं अथवा कोई अन्य प्रसिद्ध गैर-सरकारी संस्थाएं आ सकती हैं। जिन्हें निर्माण कार्यो के संतोषजनक कार्यान्वयन के लायक जिलाधिकारी समझते हों। इन कार्यो में निजी ठेकेदारों को लगाने की मनाही हैं, जहां पर भी मार्गदर्शी सिद्धांतों में इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यो के निष्पादन के लिए उन प्रभागों को लगाया जा सकता है जो प्रभाग आवश्यक रूप से मात्र निर्माण कार्य ही नहीं देखते किंतु जो निर्माण कार्यो के लिए सक्षम हैं; उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण आवास विभाग/प्रभाग, आवास वोर्ड, विद्युत वोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण आदि। जिलाधिकारी उस अभिकरण को अभिज्ञापित करेंगे जिसके माध्यम से संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कोई खास कार्य निष्पादित किया जाना है।

MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS)

GUIDELINES ON SCHEME CONCEPT, IMPLEMENTATION AND MONITORING.

THE SCHEME

1.1 The Prime Minister on the 23rd of December, 1993 announced the "MPs Local Area Development Scheme (MPLADS) in the Parliament. Detailed guidelines on the scheme concept, implementation and monitoring of MPLADS were issued subsequently in 1994. Pursuant to these guidelines the Department of Programme Implementation has been issuing circulars, from time to time, on matters relating to operational details. Several Members of Parliament, based on their field experience, have raised a number of doubts and pointed out several difficulties as regards the implementation of the scheme. In the meantime, on account of transition from the Tenth to the Eleventh Lok Sabha, several issues have been raised in regard to the modalities of funding and implementing works started/approved/envisaged during the term of the Tenth Lok Sabha. After detailed discussions and taking into account the various view points and suggestions, the following guidelines are being issued in supersession of the earlier ones.

1.2 Under this scheme, each MP will have the choice to suggest to the Head of the District works to the tune of Rs. 1 crore per year, to be taken up in his/her constituency. Elected Members of Rajya Sabha representing the whole of the State as they do, may select works for implementation in one or more district (s) as they may choose. Nominated Members of the Lok Sabha and Rajya Sabha may also select works for implementation in one or more district (s), but within one state of their choice.

FEATURES OF THE SCHEME :

2.1 Each MP will give a choice of works to the concerned head of the district who will get them implemented by following the established procedures, that is, he may be guided by the procedure laid down by the State Government subject to these Guidelines. In regard to works in urban areas their implementation can be done through Commissioners/Chief Executive Officers of Corporations, Municipalities, etc., or through the Heads of district concerned as per the option of the MPs. Implementation agencies can be either Government or Panchayati Raj institutions or any other reputed non-governmental organisation who may be considered by the District Head as capable of implementing the works satisfactorily. Engagement of private contractors is prohibited, wherever extant Guidelines do not permit such engagement. For purposes of execution of works through Public Works Department (PWD), wings not necessarily exclusively dealing with civil construction, but having competence in civil construction can be engaged - like for example, Public Health Engineering, Rural Housing Departments/wings, Housing Boards, Electricity Boards, Urban Development Authorities etc. The Head of the District shall identify the agency through which a particular work recommended by the MP should be executed.

2.2 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे। टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, इन निधियों का उपयोग सेवा संबंधी अनुषंक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। फिर भी इनमें उपर्युक्त सुविधाओं के रख-रखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्ती व्यय शामिल नहीं किया जाएगा।

2.3 यह भी उचित होगा कि यदि इस योजना से संबंधित निधियों का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाए, उदाहरण के लिए तटबंध और उसमें जल निकास करने संबंधी किसी छोटे कार्य (माइक्रो-हाइडेल वर्क) की लागत आंशिक रूप से पूरा करना। ऐसा केवल उसी हालत में किया जाए जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो। इस पैरा के अधीन जहां किसी परियोजना का अंशतः खर्च इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो, परियोजना का वह भाग सुस्पष्ट रूप से पहचान के योग्य हो।

2.4 कभी-कभी कार्यों की प्रकृति के अनुसार उनके निष्पादन में एक वर्ष से ज्यादा समय लग सकता है। इन परिस्थितियों में इस योजना के अंतर्गत निष्पादन अभिकरणों को कार्य के निष्पादन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए निधि अग्रिम रूप से अथवा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।

2.5 सांसद द्वारा चुने गए कार्य के स्थल को सांसद की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।

2.6 इस बात पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए कि चुने गए निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो। यह नगरपालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गई भूमि भी हो सकती है। केवल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस संस्था या व्यक्ति ने भूमि अभ्यर्पित की है उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वाधिकार होना चाहिए। जिला प्राधिकारियों को यथाशीघ्र यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पण कानूनों के अंतर्गत ही अभ्यर्पित/स्थानांतरित भूमि का अभ्यर्पण किया गया है। "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के अनुसार भूमि अभ्यर्पण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति को तब तक पर्याप्त समझा जा सकता है जब तक वह अभ्यर्पण कानूनी वैधता प्राप्त करें। साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसंपत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है।

2.7 इस योजना के अन्तर्गत कराए जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची परिशिष्ट -1 में दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों को नहीं कराया जा सकता है, उसकी सूची परिशिष्ट -2 में दी गई है।

2.8 इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है।

2.9 जिलाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए जाने वाले निर्माण कार्यों के रख-रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था संबंधित स्थानीय निकाय अथवा संबद्ध अभिकरण से किया जा रहा है, जैसे कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं, पंजीकृत संगठन इत्यादि।

निर्माण कार्यों को स्वीकृति और निष्पादन :

3.1 निर्माण कार्यों को अभिज्ञापित करने और उनका चयन करने तथा उन्हें स्वीकृति देने के पहले जिलाधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संबंधित सांसद की सहमति प्राप्त करें। सामान्यतः सांसदों की सलाह को मान्यता दी जानी चाहिए, यदि निर्माण कार्यों को करवाए जाने के लिए कोई तकनीकी कारण जैसे चयनित भूमि का अनुकूल न होना आदि, बाधक न हो। जिन मामलों में जिलाधिकारी यह महसूस करते हैं कि सांसद द्वारा सुझाया गया कार्य निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है, उनके संबंध में कारणों का उल्लेख करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट वे संबद्ध संसद सदस्य को भेजेंगे तथा उसकी एक-एक प्रति राज्य सरकार के संबंधित विभाग एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, भारत सरकार को भी सूचनार्थ भेजेंगे।

3.2 जहां तक संभव हो सके वहां तक सभी निर्माण कार्यों को संबंधित संसद सदस्य से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर ही मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए।

3.3 जहां तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मंजूरियों का वास्ता है, इस संबंध में निर्णय जिला-स्तर पर ही लिया जाना है। यदि आवश्यकता पड़े तो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूरी एवं अन्तिम निर्णय लेने की शक्तियां जिलों के तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य निर्वाहकों को प्रत्यायोजित कर देनी चाहिए।

3.4 एक से अधिक जिलों में फैले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मामले में वह जिलाधिकारी जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि को प्राप्त करते हैं, संसद सदस्य की इच्छानुसार अपेक्षित धनराशि अन्य संबंधित जिलों को भी उपलब्ध करवायेंगे ताकि अन्य जिलों के सांसद द्वारा उनके जिले (जिलों) में सुझाए गए निर्माण कार्यों को कार्यान्वित कर सकें।

3.5 चूंकि इस योजना के तहत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और मलव्ययन बोर्ड, आवास निगम आदि जैसे राज्य सरकारों के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जाएगा, अतः संबंधित जिलाधिकारी इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यो के समन्वय और उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरण प्रबंध संबंधी आरंभिक कार्यो, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण आदि से संबंधित अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह का प्रशासनिक खर्च, सेंटेज आदि नहीं लेंगे।

3.6 इस योजना के लिए केंद्र में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, भारत सरकार की केंद्रक जिम्मेवारी होगी। राज्य सरकार के संबंधित विभाग जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी अभिकरणों को यह सामान्य निर्देश जारी करेगा कि वे जिलाधिकारियों द्वारा इस योजना के तहत उन्हें अग्रेषित किए गए निर्माण कार्यो में सहयोग और सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित कराएं। ऐसे निर्देशों की प्रतियां संसद सदस्यों को भी निर्वाचन क्षेत्रों तथा दिल्ली में स्थित उनके पतों पर भेजी जाएं।

3.7 इस योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों पर सामान्य वित्तीय और लेखा-परीक्षण संबंधी प्रक्रियाएं इन मार्गदर्शी सिद्धांतों खासकर जिनका उल्लेख पैरा 3.3 में किया गया है, को ध्यान में रखते हुए लागू होगी।

2.2 The works under the scheme shall be developmental in nature based on locally-felt needs. The emphasis is on creation of durable assets. Funds provided under the scheme should not be used for incurring revenue expenditure. However, the funds can be used for purposes such as provision of service support facilities. However, they will not include any recurring expenditure like on staff to maintain such facilities.

2.3 It will also be appropriate if the scheme funds are used for partly meeting the cost of a larger work like for example for partly meeting the cost of a micro-hydel work only in case it would result in completion of the works. Where such part costs are met under this para, it should be with reference to clearly identifiable part of the work.

2.4 Sometimes execution of work, by their very nature, may span into more than one year. In such circumstances, funds under the scheme could be made available to the executing agency either in advance or over more than one year, phasing of execution of work being clearly kept in view.

2.5 The site selected for execution of the work by the MP shall not be changed except with the concurrence of the MP himself.

2.6 It should not be insisted that the land selected for execution of works should necessarily be Government land. It can be land surrendered by Municipal/Panchayat bodies, private trusts, private individuals, etc. The only care that needs to be taken is that the institution or the person surrendering the land has the title over it to so surrender. And the District authorities should ensure that within the quickest possible time, the surrendered/transferred land is relinquished under the local land relinquishment laws. Locally recognized practices such as surrender of lands as per "No objection certificates" may also be considered adequate so long as they are legally valid and the assets created on the land shall be available for public use for which they were created.

2.7 An illustrative list of works that may be taken up under the scheme is presented in Appendix 1. A list of works which shall not be allowed under the scheme is presented in Appendix 2.

2.8 Payment of advances of any type to the contractors/suppliers under any work falling within this scheme is prohibited.

2.9 The Heads of districts should ensure that provision for maintenance and upkeep of the works to be taken up under this Scheme is forthcoming from the concerned local body or the relevant agency, that is, Government-aided institution, registered society etc.

SANCTION AND EXECUTION OF WORKS

3.1 In identifying and selecting works and giving administrative sanction for the same, the Head of the district should invariably get the concurrence of the Member of Parliament. Normally, the advice of the MP should prevail unless it be for technical reasons such as land selected for work not being suitable for execution etc Where the Head of the district considers that a work suggested by a Member of Parliament cannot be executed, he should send a comprehensive report with reasons to the MP under intimation to the Department of the State government dealing with the subject and to the Department of Programme Implementation, Government of India.

3.2 As far as possible, all sanctions for works should be accorded within 45 days from the date of receipt of proposal from the concerned MP.

3.3 So far as technical and administrative sanctions are concerned, decision making should be only at the district level. If need be for the purpose of implementation of this scheme, full and final powers should be delegated to the District technical and administrative functionaries.

3.4 In case, a constituency falls in more than one district, the Head of the district who receives the money released by the Government of India shall make the required funds available to the other concerned district (s) in keeping with MP's choice so that the Head (s) of such other district (s) could implement the works suggested by the MP in his/her district (s).

3.5 Since the works under this scheme would be implemented by different State Government agencies such as PWD, Rural Development, Irrigation, Agriculture, Health, Education, Area Development Authorities, Water Supply and Sewerage Boards, Housing Corporation etc. the Heads of the respective districts would be responsible for the coordination and overall supervision or the works under this scheme at the district level. The implementing agencies may not collect any administrative charges, centage etc. for their services of preparatory work, implementation, supervision, etc.

3.6 The Department of Programme Implementation, Government of India, would have the nodal responsibilties for this scheme at the centre. The Department concerned of the State Government will issue general instructions to all the planning and implementing agencies at the district level to cooperate, assist and implement the works referred to them under this scheme by the Heads of the districts. Copies of such instructions shall also be sent to the MPs at their constituencies and at their Delhi addresses.

3.7 The normal financial and audit procedures would apply to all actions taken under this scheme subject to these Guidelines, especially Guidelines contained in para 3.3

3.8 इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष एक करोड़ रूपए का आबंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। हालांकि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य बदल सकते हैं, चाहे ऐसे बदलाव के कारण कुछ भी हों, चूंकि आबंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसीलिए इस योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरंतर जारी रखनी चाहिए। जिलाधिकारी इस संबंध में पूर्व और वर्तमान संसद सदस्यों तथा संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभाएंगें।

3.9 जब कभी संसद सदस्य बदलेंगे, चाहे इसके कारण कुछ भी हों, कार्यो के क्रियान्वयन में यथासंभव निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाएंगे। :

- यदि पूर्ववर्ती सांसद द्वारा अभिज्ञापित कोई कार्य निर्माणधीन है तो उसे पूरा किया जाएगा।
- यदि पूर्ववर्ती सांसद द्वारा अभिज्ञापित कोई कार्य सूचना प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों से अधिक बीत जाने पर भी प्रशासनिक कारणों से लंबित पड़ा हो तो उसे भी निष्पादित किया जाएगा, बशर्ते कि वह अन्यथा मानदंडों के अनुरूप हो।
- यदि पूर्ववर्ती सांसद किसी कार्य को अभिज्ञापित कर चुके हों परंतु इसके पहले के उप-पैरों में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसका निष्पादन शुरू नहीं किया गया हो तो उसे पूरा करवाया जा सकेगा, यदि उत्तरवर्ती संसद सदस्य उनका अनुमोदन करेंगे।

धनराशि का अवमोचन

4.1 यद्यपि संसद सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 10 लाख रूपये से अधिक की लागत वाले कार्यो का सुझाव नहीं देंगे। तथापि, प्रति कार्य 10 लाख रूपये की लागत सीमा का बहुत सख्ती से अनुपालन किया जाने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। किसी एक कार्य के लिए 10 लाख रूपये से अधिक की लागत राशि कार्य के स्वरूप को देखते हुए खर्च की जा सकती है। (उदाहरण के लिए लघु सिंचाई योजना या जल आपूर्ति के लिए सिंगल चेक बांध अथवा खेलकूद स्टेडियम बनवाने में 10 लाख रूपए से अधिक की लागत आ सकती है। ऐसे निर्माण कार्यों में 10 लाख रूपए से अधिक खर्च होना उचित होगा।)

4.2 धनराशि हर वर्ष लेखानुदान/बजट पास होने के तुरंत बाद जिलों को अवमुक्त कर दी जायेगी। इस योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि व्यपगत नहीं होगी। यदि किसी एक वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोग नहीं होता है तो वह अगले वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी तथा प्रति निर्वाचन क्षेत्र प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपए के आबंटन में कोई कमी नहीं की जाएगी। तथापि, निधियों का अवमोचन किए गए वास्तविक व्यय और कार्य निष्पादन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। दूसरे शब्दों में बजट में प्रत्येक संसद सदस्य के लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपए तक की निधियां उपलब्ध रहेंगी तथा निधियों के अभाव में निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होंगे। इसके साथ ही निधियों का अवमोचन प्रगति के अनुसार किया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि किसी भी समय एक वर्ष की अवधि में जितनी धनराशि का व्यय अपेक्षित हो सकता है उससे अधिक राशि सरकारी खजाने से बाहर पड़ी न रहे। उदाहरण के लिए यदि किसी एक वर्ष में किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित एक करोड़ रूपए में से केवल 75 लाख रूपए खर्च होते हैं तो बाकी 25 लाख रूपए अगले वर्ष के लिए माने जाएंगे और तब उस वर्ष के एक करोड़ रूपए के आबंटन समेत (1.25 करोड़ रूपए) यह राशि अगले वर्ष की हकदारी हो जाएगी और वह खर्च की जा सकती है। परन्तु निधियों का वास्तविक अवमोचन खर्च के लिए अपेक्षित राशि को देखते हुए ही किया जायेगा। तथापि, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बकाया अधिशेष राशि बहुत बड़ी हकदारी के रूप में इकट्ठी न हो जाए।

3.8 Allocation of Rs. 1 crore per year under the scheme is for the constituency. Though there may be change in the Member of Parliament representing a constituency, whatever may be the reason for such change, the allocation being for the constituency, continuity of action in implementing works under the scheme should be maintained. The Head of the district should play a coordinating role in this regard between the past and the present Member of Parliament and the implementing agencies concerned.

3.9 When there is a change in the MP, for whatever reason it may be, the following principles should be followed, as far as possible in executing works:

* If the work identified by the predecessor MP is under execution, it should be completed.

* If the work identified by the predecessor MP is pending sanction due to administrative reasons beyond a period of 45 days from the date on which advice was received for taking up the work, it should also be executed provided the work is otherwise as per norms.

* If the predecessor MP had identified the work, but it was not taken up for execution because of reasons other than those mentioned in the preceding sub-para, it can be executed subject to the confirmation of the successor MP.

RELEASE OF FUNDS

4.1 Ideally it would be desirable to the MPs to suggest individual works costing not more than Rs. 10 lakhs per work. However, the limit of Rs. 10 lakhs per work should not be too rigidly construed. Amounts higher than Rs. 10 lakhs per work can be spent depending upon the nature of the work. (For example a single check dam to provide minor irrigation or water supply or a sports stadium may cost more than Rs. 10 lakhs. In the case of such works more than Rs. 10 lakhs can be legitimately spent).

4.2 Funds shall be released to the Districts each year immediately after the Vote on Account/ Budget is passed. The funds released by the Govt. of India under the scheme would be non-lapsable. Funds released in a particular year, if they remain unutilised can be carried forward to the subsequent year without detracting from the allocation of rupees one crore per year per constituency. However, release of funds will be made with reference to the actual progress achieved in expenditure and execution of works. In other words, funds would be available in the budget to the extent of rupees one core per year per Member of Parliament and works will not suffer for want of provisions. At the same time releases will be regulated according to progress. The idea is that at any given time no more money should remain outside the Government treasury than is reasonably expected to be spent within a year. For example, if out of Rs. 1 crore allotted for a constituency in a year, Rs. 75 lakhs are spent, the balance of Rs. 25 lakhs can be carried over for the year when this amount together with fresh allocation of Rs. 1 crore (total of Rs. 1.25 crore) would be the entitlement of the year and could be spent. But actual physical release of funds will be with reference to the amount expected to be spent. It should be seen, however, that unspent amounts do not excessively snowball into huge entitlements.

4.3 निर्माणाधीन कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा निर्माण कार्यों के लिए धनराशि को आगामी आवश्यकता के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा निधियां वर्ष में दो बार जारी की जाएंगी।

4.4 निधियां जारी करते समय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग संबंधित जिलाधिकारियों से परामर्श करके निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि का आकलन करेगा। धनराशि की ऐसी आवश्यकता पहले पूरी की जायेगी और तब नये निर्माण कार्यों के लिए बाकी आबंटन पर विचार किया जायेगा।

4.5 किसी एक कार्य के लिए निधियों को तत्परता के साथ जारी किया जाना चाहिए। निर्माणाधीन कार्यों की लागत का 75% पहली किश्त के रूप में और बकाया 25% कार्य की प्रगति को देखकर जारी किया जायेगा। जहां तक संभव हो कार्य-स्थल से सबसे नजदीक उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जैसे कि प्रखंड विकास अधिकारी के द्वारा निधियां अवमुक्त की जानी चाहिए। इसका प्रयोजन यह है कि निधियों का अवमोचन भी कार्यस्थल पर पहले से उपलब्ध विकेंद्रित प्रशासनिक तंत्र के जरिए किया जाए तथा वह कार्यान्वित करने वाला अभिकरण उन विकेंद्रित प्राधिकारों से शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करने की स्थिति में हो।

4.6 यदि संबंधित सांसद निधियों का उपयोग करने में रूचि नहीं रखते हैं तो उसे कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को लिखना चाहिए ताकि निधियों का निर्गम वापस लिया जा सके।

प्रवोधन व्यवस्था

5.1 इस योजना के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क्षेत्रीय निरीक्षण के द्वारा वास्तविक प्रबोधन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, भारत सरकार के साथ समन्वयन बनाये रखने के लिए केंद्रक विभाग को नामित करेंगे। जिलाधीश को इन कार्यों का कम से कम 10% निरीक्षण दौरा करना चाहिए तथा इसी प्रकार इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का दौरा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है। इसी तरह उप-क्षेत्रीय तथा खंड स्तर पर जिले के अधिकारियों को निर्माण कार्य के स्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का भी निकट प्रबोधन करना चाहिए। ऐसे दौरे और प्रबोधन अधिक से अधिक लाभप्रद हों, इसके लिए जिलाधीश को चाहिए कि वे इनमें संसद सदस्यों को भी शामिल करें। संसद सदस्यों और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, भारत सरकार को 2 महीने में एक बार उपर्युक्त प्रबोधन की रिपोर्ट भी उनके द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा एक निरीक्षण सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें निष्पादन अभिकरणों के प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तरीय कर्मचारी के लिए क्षेत्रीय निरीक्षणों का कम से कम संख्या निर्धारित हो।

5.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की एक पूर्ण एवं नवीनतम स्थिति की जानकारी हमेशा रखेगा।

4.3 The release of funds by the Department of Programme Implementation will be done twice a year on the basis of the physical and financial progress of the works under implementation and further requirement of funds for works.

4.4 At the time of release of funds, the Department of Programme Implementation in consultation with the Heads of the concerned Districts will make an assessment of the funds required to complete the on-going works. Such requirements of funds will be met first and then only the balance allocation will be considered for new works.

4.5 Funds for individual works should be promptly released. 75% of the cost of the works can be released in the first instalment itself, the balance of 25% being released watching progress. To the maximum extent possible, release of funds should be arranged through the administrative authority available nearest to the work spot-like for example a Block Development Officer. The objective should be that release of funds also is made through decentralised administrative mechanisms already avalable on the ground and that implementing agencies have the quickest feasible access to such decentralised authorities

4.6 In case the concerned MP is not interested in utilising the funds, he/she may write to the Department of Programme Implementation so that the release of funds is withdrawn.

MONITORING ARRANGEMENTS

5.1 For effective implementation of the works taken up under this scheme, each state Government/UT Administration shall designate one nodal Department for physical monitoring through field inspection and for coordination with the Department of Programme Implementation, Government of India. The Heads of Districts shall visit and inspect atleast 10% of these works every year. Similarly, it should be the responsibility of the senior officers of implementing agencies of these works to regularly visit the work spots and ensure that the works are progressing satisfactorily as per the prescribed procedures and specifications. Likewise, officers of district at the subdivisional and block level shall also closely monitor implementation of these works through visits to work sites. The Head of the District should also involve the Members of parliament in such inspections and monitoring to the maximum extent feasible. They should also furnish monitoring reports once in two months to the MPs and the Department of Programme Implementation, Government of India. A schedule of inspections which prescribes the minimum number of field visits for each supervisory level functionary of the implementing agencies may be drawn up by the Department of Programme Implementation.

5.2 The Department of Programme Implementation would always have with it a complete and updated picture of the works under implementation.

5.3 इस योजना से संबंधित प्रबोधन प्रपत्र तथा अन्य मुद्दे कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा समय-समय पर तय किये जाएंगे।

5.4 जिलाधीशों को चाहिए कि वे इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में सूचना इन्टरनेट के जरिए भी दें जिसके लिए संसद भवन में भी संपर्क व्यवस्था उपलब्ध है। इन रिर्पोटों की प्रतियां संसद सदस्यों को भी भेजी जाएंगी। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इन्टरनेट पर रिपोर्ट देने के लिए लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के साथ समन्वय करके अपेक्षित साफ्टवेयर उपलब्ध करवाएगा। इससे संसद और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में निर्वाचन-क्षेत्र वार योजना की प्रगति के तत्काल प्रबोधन की सुविधा भी हो जायेगी।

5.5 योजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का वार्षिक आकलन करने हेतु राज्य सरकार के मुख्यालय में आयुक्त स्तर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जिलाधीशों और संसद सदस्यों की एक वार्षिक बैठक भी की जायेगी।

5.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इगनो) और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं और विशेषज्ञों का लाभ उठाते हुए दूरभाष कांफ्रेंस भी आयोजित की जा सकती है। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा आयोजित ऐसी कांफ्रेंस में जिलों के प्रधान तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों से तत्काल सम्पर्क किया जा सकेगा जिससे कि शंकाओं को दूर करने तथा अवरोधों को हटाने में मदद मिलेगी।

5.7 इस योजना के कार्यान्वयन में निरंतर सुधार लाने के लिए संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, समूहों में जिलाधिकारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जिसमें संसद सदस्यों को शामिल कर उनसे संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा।

सामान्य

6.1 स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कि कार्य विशेष संसद सदस्य द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों से करवाया गया है, "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का निर्माण कार्य" लिखा हुआ सूचना फलक कार्य स्थल पर लगवाया जाए।

6.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान संसद सदस्यों को किसी ऐसी समस्या/स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसका उल्लेख इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में नहीं किया गया है। समुचित स्पष्टीकरण के लिए ऐसे मामले कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के साथ उठाए जा सकते हैं।

6.3 कभी किसी भी कारणवश संसद सदस्य बदलते हैं और यदि पूर्ववर्ती सांसद द्वारा कोई भी कार्य अभिज्ञापित नहीं किया गया हो तो उन पूर्ववर्ती सांसद के संबंध में आवंटित अथवा अवमोचित राशि उनके उत्तरवर्ती सांसद को उस वर्ष के लिए अपनी हकदारी की 1 करोड़ रूपए की राशि से अतिरिक्त नहीं उपलब्ध होगी।

5.3 Monitoring formats and other issues of details relevant to this scheme would be decided by the Department of Programme Implementation from time to time within the framework of the scheme.

5.4 The District Heads should also communicate information on the progress of works under the scheme on the internet for which connectivity is available in the Parliament. Copies of such reports shall also be forwarded to the MPs. Software required for reporting on the Internet will be furnished by the Department of Programme Implementation in co-ordination with the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat. This will also facilitate instantaneous monitoring of the progress of the scheme constituency-wise in the Parliament and the Department of Programme Implementation.

5.5 A senior commissioner level officer at the State headquarters should conduct an annual Meeting involving the Heads of Districts and MPs to assess the progress of works under the scheme once in a year.

5.6 Periodic teleconferences may also be organised, availing of the infrastsructure and expertise available with the Indira Gandhi National Open University (IGNOU) and the Indian Space Research Organisation (ISRO). In these conferences to be organised by the Department of Programme Implementation, intantaneous contact could be established with the Heads of districts and other local functionaries to clarify doubts and remove bottlenecks. MPs also should be associated with such conferences.

5.7 In order to bring about continuous improvement in the implementation of the scheme, the Bureau for Parliamentary Studies and Training (BPST) may arrange training of district officials in batches, involving, and bringing about interaction with MPs.

GENERAL

6.1 In order that local people become aware that particular works have been executed with MPLADS funds, signboards carrying the inscription "MPLADS WORK" may be prominently erected at the sites.

6.2 In execution of works, MPs may face special problems/situations not envisaged to be covered under these guidelines. Such cases may be taken up with the Department of Programme Implelmentation for suitable clarification.

6.3 When there is a change of a Member of Parliament for whatever reason it may be, if the predecessor MP has not identified any works at all, allocation or releases of funds to such predecessor MP will not be additionally given to the successor MP over and above Rupees one crore, being the entitlement of the latter MP for the year concerned.

परिशिष्ट-1

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कराए जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची

1. विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्थाओं के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हों। ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त संस्थाओं के भी हों तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।

2. गांवों, कस्बों अथवा नगरों में लोगों को पेय जल उपलब्ध करवाने के वास्ते नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण अथवा ऐसे अन्य निर्माण कार्यों का निष्पादन जो इस दृष्टि से सहायक हों।

3. गांवों और कस्बों तथा नगरों में सड़कों का निर्माण जिसमें पार्ट-सड़कें, संपर्क सड़के, लिंक सड़कें आदि भी शामिल हैं। अति विशिष्ट उन कच्चे मार्गों का भी निर्माण करवाया जा सकता है ज़िनकी स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की जा रही जरूरत पूरी करने के लिए सम्बद्ध संसद सदस्य और जिला प्रधान सहमत हों।

4. उपर्युक्त सड़कों और अन्यत्र टूटी सड़कों अथवा नलकूपों की नहरों पर पुलियों/पुलों का निर्माण।

5. वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रय गृहों का निर्माण।

6. मान्यता प्राप्त जिला या राज्यस्तर के खेलकूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूद संबंधी गतिविधियों अथवा अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण। (व्यायाम केन्द्रों, खेल-कूद संघों, शारीरिक शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थानों आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधाएं (मल्टीजिम फैसिलिटीज) उपलब्ध कराने की भी अनुमति है।)

7. सरकारी तथा सामुदायिक भूमियों अथवा अन्य प्रदत्त भूखंडों पर सामाजिक वानिकी, फर्म वानिकी, बागवानी, चारागाहों, पार्कों एवं उद्यानों की व्यवस्था।

8. गांवों कस्बों और शहरों में तालाबों की सफाई करवाना।

9. सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण।

10. सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए गोबर गैस संयंत्रों, गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणालियों/साधन उपयोगों का निर्माण।

11. सिंचाई तटबंधों अथवा लिफ्ट सिंचाई अथवा वाटर टेबल रीचार्जिंग सुविधाओं का निर्माण।

12. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय।

13. शिशुगृह एवं आंगनवाड़ियां।

APPENDIX-1

ILLUSTRATIVE LIST OF WORKS THAT CAN BE TAKEN UP UNDER MPLADS

1. Construction of buildings for schools, hostels, libraries and other buildings of educational institutions belonging to Government or local bodies. Such buildings belonging to aided institutions also can be constructed.

2. Construction of tube wells and water tanks for providing drinking water to the people in villages, towns or cities, or execution of other works which may help in this respect.

3. Constructions of roads including part roads, approach roads, link roads etc. in villages and towns and cities. Very selectively kutcha roads can also be constructed where the MP concerned and the Distsrict Head agree to meet the local felt need.

4. Construction of culverts/bridges on the roads of above description and of open cut or tube wells.

5. Construction of common shelters for the old or handicapped.

6. Construction of buildings for local bodies for recognised District or State Sports Associations and for cultural and sports activities or for hospitals. (Provision of multi-gym facilities in gymnastic centres, sports associations, physical education training institutions etc., is also permissible).

7. Special forestry, farm forestry, horticulture, pastures, parks and gardens in Government and community lands or other surrendered lands.

8. Desilting of ponds in villages, towns and cities.

9. construction of public irrigation and public drainage facilities.

10. construction of common gobar gas plants, non-conventional energy systems/devices for community use and related activities.

11. construction of irrigation embankments, or lift irrigation or water table recharging facilities.

12. Public libraries and reading rooms.

13. Creches and anganwadis.

14. ए एन एम आवासीय मकानों के साथ-साथ परिवार कल्याण उपकेंद्रों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी भवनों का निर्माण। सहायता प्राप्त संस्थाओं के ऐसे भवनों का भी निर्माण किया जा सकता है।

15. शवदाह/शमशान भूमि पर शवदाह गृहों और ढांचों का निर्माण।

16. सार्वजनिक शौचालयों और स्नान-गृहों का निर्माण।

17. नाले और गटर।

18. पैदल पथ, पगडंडियों और पैदल पुलों का निर्माण।

19. शहरों, कस्बों तथा गांवों की गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी, पगडंडियों, सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था। गंदी बस्ती क्षेत्रों में तथा कारीगरों हेतु सामान्य कार्यशाला शेडों का प्रावधान।

20. आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय।

21. सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के लिए बस पड़ाव/शेडों का निर्माण।

22. पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और प्रजनन केंद्र।

23. सरकारी अस्पतालों के लिए एक्स-रे मशीन, ऐम्बुलेंस जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपस्करों की खरीद करना तथा सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था करना (ऐम्बुलेंस की सुविधाएं रेडक्रास, रामकृष्ण मिशन आदि जैसी प्रतिष्ठित सेवा संस्थाओं को प्रदान की जा सकती हैं।)

24. इलेक्ट्रानिकी परियोजनाएं (कृपया पैरा 2.2 का भी संदर्भ लिया जाए) :
    1. शिक्षण परियोजना में कम्प्यूटरः प्रत्येक हाई स्कूल में कम्प्यूटर।
    2. सूचना फुटपाथ।
    3. उच्च विद्यालयों में हैम क्लब।
    4. सिटीजन बैंड रेडियो।
    5. ग्रंथ सूची डाटा बेस परियोजना।

परिशिष्ट - 2

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत न कराए जा सकने वाले कार्यों की सूची।

1. केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संगठनों से संबंधित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण।

2. वाणिज्यिक संगठनों, न्यासों, पंजीकृत सोसाइटियों, निजी संस्थानों अथवा सहकारी संस्थानों से संबंधित कार्य।

3. किसी भी टिकाऊ परिसंपत्ति के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार के मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य।

4. अनुदान और ऋण।

5. स्मारक या स्मारक भवन।

6. किसी भी प्रकार की वस्तु सामान की खरीद अथवा भण्डार।

7. भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिगृहीत भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राशि।

8. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसंपत्ति, उन परिसम्पत्तियों को छोड़कर, जो अनुमोदित योजनाओं के भाग हैं।

9. धार्मिक-पूजा के लिए स्थान।

APPENDIX-2

LIST OF WORKS NOT PERMISSIBLE UNDER MPLADS

1. Office buildings, residential buildings, and other buildings relating to Central or State Governments, Departments, Agencies or Organisations.

2. Works belonging to commercial organisations, trusts, registered societies, private institutions or co-operative institutions.

3. Repair and maintenance works of any type other than special repairs for restoration/ upgradation of any durable asset.

4. Grant and loans

5. Memorials or memorial buildings.

6. Purchase of inventory or stock of any type.

7. Acquisition of land or any compensation for land acquired.

8. Assets for all individual benefit, except those which are part of approved schemes.

9. Places for religious worship.

14. construction of public health care buildings, including family welfare sub-centres together with the ANM residential quarters. Such buildings belonging to aided institutions also can be constructed.

15. Crematoriums and structures on burial/cremation grounds.

16. construction of public toilets and bathrooms.

17. Drains and gutters.

18. Footpatns, pathways and footbridges

19. Provision of civic amenities like electricity, water, pathways, public toilets etc. in slum areas of cities, town and villages and in SC/ST habitations, provision of common worksheds in slums and for artisans.

20. Residential schools in tribal areas.

21. Bus-Sheds/stops for public transport passengers.

22. Veterinary aid centres, artificial insemination centres and breeding centres.

23. Procurement of hospital equipment like X-Ray machines, ambulances for Government Hospitals and setting up of mobile dispensaries in rural areas by Government Panchayati Institutions. (Ambulances can be provided to reputed service organisations like Red Cross Ramakrishna Mission etc.).

24. Electronic Projects : (para 2.2 may also be referred to)
    i) Computer in education project : Computer in every High school
    ii) Information footpath
    iii) Ham Club in high schools
    iv) Citizen band radio
    v) Bibliographic data-base projects.